www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 21.06.2017

सीबीआई ने लोक निर्माण के तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया तथा तलाशी ली

सीबीआई ने लोक निर्माण विभाग मण्डल एम.333, बवाना रोड, दिल्ली के तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता ; तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग उप मण्डल एम-3333, नई दिल्ली तथा जहाँगीरपुरी, दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म के विरूद्ध मामला दर्ज किया। उक्त फर्म के द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के साथ मिली भगत में नरेला, दिल्ली स्थित सेक्टर ए-5 एवं बी-4 में पुलिस कालोनी के अवासीय भवन बनाने में घटिया कार्य करवाने से सम्बन्धित आरोप है। ऐसा भी आरोप लगाया गया कि 19,26,041 रू. हेतु बिल को ई.ओ.टी. (EOT) एवं परिवर्तित मदों की स्वीकृति के बिना एवं इस सन्दर्भ में मण्डल कार्यालय को प्राप्त शिकायत के बावजूद, कार्यकारी अभियन्ता के द्वारा पास कर दिया गया और कार्य जो कि करवाये नही गए थे तथा मापन पुस्तिका में बनावटी सूचना अकिंत की गई थी, के लिए उक्त फर्म को भुगतान कर दिया गया।

लोक सेवकों के आवासीय परिसरों तथा फर्म पर आज तलाशी की जा रही है।

आगे की जॉच जारी है।

****